

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215368
CG-DL-E-13012020-215368

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]
No. 142]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2020

का.आ. 152(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2294 (अ) 1 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले में NH16 (पुराना NH6) के कि. मी. 17.60 से कि. मी. 72.00 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17 जुलाई 2019" को "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" और "आनंद बाजार पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले में NH16 (पुराना NH6) के कि.मी. 17.60 से कि.मी.72.00 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: हावड़ा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी। हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: दोमजुर				
	गांव का नाम: अंकुरहटी (जे. एल. नं. 30)				
1	3286 / 3536 (R . S)	निजी(दंगा)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0121408	श्री श्री राम्राजनिता रामराजा नीति गौर गोविंदा सेवैत रघुनाथ गोस्वामी & ओरस S/o गौर ()
2	3286 /3535 (R . S)	निजी(दंगा)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0121408	श्री श्री रामराजा नीति गौर गोविंदा सेवैत रघुनाथ गोस्वामी & ओरस S/o गौर ()
3	3314 (R. S)	निजी(बस्तु)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0216916	श्रीकेश मुखोपाधय & ओरस भूपेंद्र ()
4	3319 (R . S)	निजी(बस्तु)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0259004	सहाबुद्दीन पीडा S/o गोलम मुस्तफा टेक्राँऑ सर्विस, एसएम टेक्रो सर्विस PVT. LTD. & ओरस

					()
5	3480 / 3526 (R . S)	निजी(बस्तु)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0323756	रथिन बनर्जी & ओरस S/O पशुपति ()
तालुक का नाम: उलूबेरिया – II					
गांव का नाम: रघुदेबपूर (जे. एल. नं. 99)					
1	1297 / 1718 (R . S)	निजी(साली)	एग्रीकल्चरल	0.0040469	तपन घोष & ओरस ()
2	1410 (R . S)	निजी(साली)	एग्रीकल्चरल	0.1209025	शिवशंकर गुप्ता & ओरस ()
3	1431 (R . S)	निजी(साली)	एग्रीकल्चरल	0.0421004	बसंता कुमार शाँ s/O अजोध्या ()
गांव का नाम: सुरिखली (जे. एल. नं. 98)					
4	1379 (R . S)	निजी(बस्तु)	बस्तुनॉन - एग्रीकल्चर	0.0404694	जीबों कृष्णा भुइयन & ओरस, S/o- प्रियनाथ ()
5	1380 (R. S)	निजी(बस्तु)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0364225	कमल कृष्णा भुइयन & ओरस ()
6	1390 (R . S)	निजी(बस्तु)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0485633	नानिबाला धरा & ओरस ()
			कुल	0.3967542	

[फा. सं. NHAI/PIU-Kol/PD/139/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th January, 2020

S.O. 152(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 2294(E) dated 1st July, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH16 (old NH-6) on the stretch of land from Km 17.60 to Km 72.00 in the district of HOWRAH in the state of WEST BENGAL;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Ananda Bazar Patrika” both dated 17/07/2019 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH16 (old NH6) in the stretch of land from NH16 (old NH6) in the district of HOWRAH in the state of WEST BENGAL.

State: WEST BENGAL			District: HOWRAH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Domjur					
Village: Ankurhati (JL No. 30)					
1	3286 / 3536 (R . S)	Private (Danga)	non agriculture	0.0121408	SRI SRI RAMRAJA NITAI GOUR GOBINDA SEBAIT RAGHUNATH GOSWAMI & ओरस S/O GOUR
2	3286 / 3535 (R . S)	Private(Danga)	non agriculture	0.0121408	SRI SRI RAMRAJA NITAI GOUR GOBINDA SEBAIT RAGHUNATH GOSWAMI & ओरस S/O GOUR
3	3314 (R S)	Private (Bastu)	non agriculture	0.0216916	SHRIKESH MUKHOPADHAYA & ओरस s/o BHUPENDRA
4	3319 (R . S)	Private (Bastu)	non agriculture	0.0259004	SAHABUDDIN PIADA S/o GOLAM MUSTAFA, TECHNOCON SERVICE, ESEM TECHNO SERVICE PVT. LTD. & ओरस
5	3480 / 3526 (R . S)	Private (Bastu)	non agriculture	0.0323756	RATHIN BANERJEE & ओरस S/O PASHUPATI
Taluk: Uluberia - II					
Village: Raghudebpur (JL No. 99)					
1	1297 / 1718 (R . S)	Private(Sali)	Agricultural	0.0040469	TAPAN GHOSH & ओरस
2	1410 (R . S)	Private(Sali)	Agricultural	0.1209025	SHEWSHANKAR GUPTA & ओरस
3	1431 (R . S)	Private(Sali)	Agricultural	0.0421004	BASNTA KUMAR SHAW S/O AJODH

Village: Surikhali (JL No. 98)					
4	1379 (R .S)	Private(Bastu)	Non - Agriculture	0.0404694	JIBON KRISHNA BHUIAN & ओरस, S/o- Priyanath
5	1380 (R. S)	Private(Bastu)	Non - Agriculture	0.0364225	KAMAL KRISHNA BHUIAN & ओरस
6	1390 (R . S)	Private(Bastu)	non agriculture	0.0485633	NANIBALA DHARA & ओरस
			TOTAL	0.3967542	

[F. No. NHAI/PIU-Kol/PD/139/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.